बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

कोविड–19 के संक्रमण महामारी की रोकथाम एवं लॉकडाउन संबंधी कार्यों के अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं अनुपालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति उन्हें ज्यादा कठिनाई का सामना न कराना पड़े इस हेतु सब्जी एवं अन्य अत्यावश्यक सामग्रियों होम डिलिवरी भी कराया जाना है।

दिनांक 11.04.2020 को मुखिया के साथ हुई बैठक में मुखिया द्वारा यह बात संज्ञान में लाया गया कि कुछ सामग्री यथा सब्जी एवं अन्य आवश्यक वस्तु को पंचायत से बाहर से लाया जाता है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि **यदि कुछ व्यक्तियों को पास निर्गत कर दिया जाता जो दूसरे पंचायत/बाजार से सब्जी एवं किराना/दवा आदि आवश्यक वस्तु खरीद** कर ग्रामीणों को उपलब्ध कराते । उक्त परिप्रेक्ष्य में मुखिया के अनुशंसा के आलोक में **पास निर्गत करने हेतु पंचायत नोडल पदाधिकारी को अधिकृत** किया जाता है।

सभी **पंचायत नोडल पदाधिकारी, अरवल जिला** को निदेशित किया जाता है कि वे आवश्यकता एवं अनिवार्यता को देखते हुए अपने स्तर से पास निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 461 /गो0, अरवल दिनांक 16 वीं अप्रैल, 2020।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अरवल एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवाश्कय कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी पंचायत स्तरीय नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, अरव जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,